



Mob. 9470488464

E-Mail- nagarparishadmotihari@gmail.com

कार्यालय नगर परिषद् मोतिहारी



पत्रांक

14854
10-12-18

प्रेषक :

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, मोतिहारी ।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा),
बिहार, पटना ।
(स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा)

S.S.(JPM) / 507

विषय:

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०- 661 / 2011-12 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य
सहित समर्पित करने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग:

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 4000
दिनांक- 10.09.2015

दिनांक मोतिहारी

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के सम्बन्ध में सादर कहना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०- 661 / 2011-12 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही है ।

अतः सादर अनुरोध है कि समर्पित की जा रही अनुपालन प्रतिवेदन के कंडिकाओं को विलोपित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

ॐ -

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् मोतिहारी

ज्ञापांक 3158 दिनांक 24/11/18

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् मोतिहारी

कार्यालय नगर परिषद् मोतिहारी

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या- 661 / 2011-12

लेखा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11

अनुपालन प्रतिवेदन

क्र० सं०	कॉडिका सं०	अंकेक्षण आपति का संक्षिप्त विवरण	अनुपालन प्रतिवेदन
1	7	संव्यवहार	सरकार एवं जिला से प्राप्त आवंटित राशि मो0- 4,70,61,861.00 रुपये का व्यय किया जा चुका है जिसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र सरकार को तथा जिला को भेज दी गयी है। समर्पित की गयी आंशिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र की छाया प्रति (15 अदद) संलग्न कर भेजी जा रही है। अतः कॉडिका विलोपित करने की कृपा की जाय।
2	8	वेतन खाता अन्तर	वेतन खाता में मो0- 7,25,700 रुपये का अन्तर राशि का सामाधान विवरणी तैयार कर दी गयी है जिसे अगले अंकेक्षण दल के समक्ष समर्पित कर दी जायेगी। अतः कॉडिका विलोपित करने की कृपा की जाय।
3	9	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (आय-व्यय विवरणी)	सरकार के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार का अवशेष राशि को एन0यूएल0एम0 खाता में हस्तांतरित कर दी गयी है साथ ही इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी सरकार को समर्पित कर दी गयी है जिसकी छाया प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। अतः कॉडिका विलोपित करने की कृपा की जाय।
4	10	खातों को संधारण	खाता संख्या- 44411011000002 का अंतर शेष मो0- 60,093.00 रुपये एवं खाता संख्या- 444110100017756 का अंतर शेष मो0- 7,25,700 रुपये का सामाधान किया जा चुका है। जिसे अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी। अतः कॉडिका विलोपित करने की कृपा की जाय।
5	11	अनुदान पंजी का संधारण	अनुदान पंजी का संधारण किया जा रहा है, जिसे अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी। अतः कॉडिका विलोपित करने की कृपा की जाय।
6	12	बकाया मकान कर की वसूली	वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में मकान कर के रूप में कुल बकाया राशि मो0- 4,63,97,260.00 रुपये की वसूली लगभग कर ली गयी है। जिसे अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी। अतः कॉडिका विलोपित करने की कृपा की जाय।
7	13	बकाया दुकान कर की वसूली	वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में दुकान कर के रूप में कुल बकाया राशि मो0- 2,50,392.00 रुपये की वसूली लगभग कर ली गयी है। जिसे अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी। अतः कॉडिका विलोपित करने की कृपा की जाय।
8	14	मुद्रांक शुल्क की वसूली	नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के द्वारा सैरातों के बन्दोबस्ती के उपरान्त डाकधारी के साथ मुद्रांक शुल्क की राशि प्राप्त कर ही एकररनामा करने का कोई निर्देश इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ था तथा परिषद के द्वारा आमंत्रित की गयी निविदा आमंत्रण सूचना में भी मुद्रांक शुल्क जमा करने से सम्बन्धित कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इस संदर्भ में परिषद को भी जानकारी प्राप्त नहीं थी। जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2009-10 गैर न्यायिक स्टाम्प पर ही एकररनामा किया गया था। अंकेक्षण दल के द्वारा दिये गये सुझाव के आलोक में वित्तीय वर्ष 2010-11 से सैरातों के बन्दोबस्ती के उपरान्त डाकधारी से 3 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क का स्टाम्प पेपर प्राप्त करते हुए एकररनामा किया जा रहा है। अतः कॉडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय। (सुलभ प्रसंग हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के निविदा आमंत्रण सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 में कार्यालय के द्वारा प्राप्त की गयी मुद्रांक शुल्क का विवरणी की छाया प्रति संलग्न)

9	15	कम जमा नहीं जमा (1,60,455.00)	अकंक्षण के समय कर संग्राहकों के द्वारा कुल मो0- 1,60,455.00 रुपये कम जमा की गयी थी जिसे तत्कालीन अकंक्षण दल के समक्ष ही अविलम्ब 9 अदद कर संग्राहकों के द्वारा मो0- 36,745.00 रुपये जमा करा दी गयी थी । सुलभ प्रसंग हेतु अकंक्षण दल द्वारा आपत्ति की गयी प्रति की छाया प्रति संलग्न । शेष दो कर संग्राहक सुरेन्द्र प्रसाद विद्यार्थी एवं मदन राम के द्वारा अकंक्षण समाप्ति के उपरान्त सुरेन्द्र प्रसाद विद्यार्थी के द्वारा रसीद सं0- 4126 दि0- 30.01.13 के द्वारा मो0- 34,698.91 पैसा एवं मदन राम के द्वारा रसीद संख्या- 4127 दि0- 30.1.13 के द्वारा मो0- 89,011.91 पैसा नगर परिषद कोष में जमा करा दी गयी थी (सुलभ प्रसंग हेतु जमा रसीद एवं रोकड़बही की छाया प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है) । अतः कांडिका विलोपित करने की कृपा की जाय ।
10	17 (ii)	मो0- 10,09,759.00 रुपये के श्रम उपकर की कटौती नहीं	इस कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 तक श्रम विभाग, विहार, पटना से श्रम सेस की कटौती से सम्बन्धित पत्र अप्राप्त था जिस कारण वित्तीय वर्ष- 2009-10 एवं 2010-11 में योजनाओं के विपत्रों से श्रम सेस की कटौती नहीं की गयी थी । साथ ही जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण योजनाओं के प्राक्कलन में भी श्रम सेस का प्रावधान नहीं किया गया था, इस कारण भी श्रम सेस की कटौती नहीं की गयी थी वर्ष 2011-12 से जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् योजनाओं के प्राक्कलन में श्रम सेस प्रावधान कर नियमित रूप से श्रम सेस की कटौती की जा रही है । अतः कांडिका विलोपित करने की कृपा की जाय ।
11	18	निष्फल व्यय	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना मद की राशि से योजना सं0- 18/09-10 वाई सं0- 21 में कोल्ड स्टोर के सामने से श्री किशुन जी के घर तक पथ में मिट्टी एवं ईटकरण कार्य जिसकी कुल प्राक्कलित राशि मो0- 1,10,000.00 रुपये थी । उक्त योजना में मो0- 70,071.00 रुपये का कार्य कराया गया था । शेष कार्य जमीनी विवाद होने के कारण नहीं हो पाया, जमीनी विवाद के निस्तारण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक- 821 दि0- 26.06.10 एवं पत्रांक- 986 दि0- 31.07.10 के द्वारा थाना प्रभारी छत्तौनी थाना मोतिहारी को उक्त विवाद को समाप्त करते हुए आगे की कार्य को प्रारम्भ करने हेतु पत्र निर्गत किया गया था । परन्तु उक्त योजना पर विवाद नहीं सुलझने के कारण उपरोक्त योजना का शेष कार्य नहीं हो पाया । तदोपरान्त इस कार्यालय के द्वारा उक्त योजना को बन्द कर दिया गया । परन्तु परिषद के द्वारा जितने क्षेत्रफल में ईट सोलिंग का कार्य किया गया था उसका उपयोग वहाँ के स्थानीय नागरिकों के द्वारा किया जा रहा था । वित्तीय वर्ष 2013-14 में उक्त विवाद का समाधान हो गया था जिसके उपरान्त उसी ईट सोलिंग पर नया पी0सी0सी0 निर्माण का योजना लेकर किसी अन्य विभाग/एजेन्सी के द्वारा निर्माण कराया जा चुका है । वर्तमान में उक्त ईट सोलिंग एवं पी0सी0सी0 का उपयोग वहाँ के सभी नागरिक कर रहे हैं ऐसी परिस्थिति में परिषद के द्वारा कराया गया ईट सोलिंग कार्य का उपयोग कार्यस्थल के स्थानीय नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है जोकिजनहित में उपयोगी सिद्ध हुआ है । इसलिए उक्त योजना में व्यय की गयी राशि निष्फल व्यय नहीं है । अतः कांडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय ।
12	19	योजना अनियमितता (स्वयं श्रोत)	अभिकर्ता संजय कुमार के द्वारा योजना सं0- 153/10-11 अन्तर्गत नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत नगर भवन का जीर्णोद्धार एवं आंतरिक सजावट कार्य जिसकी कुल प्राक्कलित राशि- 11,98,700.00 रुपये के कार्य का क्रियान्वयन कराने के उपरान्त कुल अभिश्रव एवं विपत्र को परिषद कार्यालय में समर्पित कर दिया गया था । अभिकर्ता द्वारा समर्पित की गयी कुल विपत्र की राशि मो0- 11,98,517.00 रुपये में से कुल अग्रिम राशि मो0- 11,00,000.00 रुपये का सामंजन एवं टैक्स की कटौती राशि मो0- 48,058.00 रुपये करते हुए विपत्र का अवशेष राशि वाउचर नं0- 32 दि0- 06.05.13 चेक सं0- 5660641 दि0- 06.05.13 के द्वारा भुगतान करते हुए अग्रिम राशि का सामंजन किया जा चुका है । सुलभ प्रसंग हेतु योजना में लगे अभिश्रव एवं फाईनल बील का छाया प्रति संलग्न । अतः कांडिका विलोपित करने की कृपा की जाय ।

			नगर परिषद बोर्ड की मासिक साधारण बैठक दिनांक- 22.06.2007 के प्रस्ताव सं0- 7 के 2 एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक- 19.07.2008 के प्रस्ताव सं0- 10 के द्वारा दिए गए स्वीकृति के आलोक में सभापति नगर परिषद मोतिहारी के लिए एक अदद एम्बेस्डर वाहन क्रय की गयी थी । विदित हो कि सभापति, नगर परिषद मोतिहारी के लिए कार्यालय कार्यों के सम्पादन हेतु अगर भाड़े पर वाहन ली जाती तो इसमें परिषद को प्रति वर्ष काफी बड़ी राशि भाड़े के रूप में भुगतान करना पड़ता तथा परिषद को प्रति वर्ष काफी बड़ी राशि का क्षती उठाना पड़ता । इसलिए परिषद के द्वारा मो0- 6.50,000.00 रुपये का सावधी जमा बैंक ऑफ इण्डिया में करार कर सावधी जमा पर ऋण लेकर वाहन क्रय किया गया था जिसमें सावधी जमा पर भी नगर परिषद को ब्याज के मद में राशि प्राप्त हुआ था, जिससे ली गयी ऋण की राशि पर ब्याज मद की राशि का समायोजन हो जाता है, इस तरह से किसी भी प्रकार का राशि का निष्फल व्यय नहीं हुआ है । सुलभ प्रसंग हेतु सावधी जमा बोर्ड बैठक की कार्यवाही की छाया प्रति संलग्न । अतः कांडिका विलोपित करने की कृपा की जाय ।
13	20	मो0- 1,56,158.00 रुपये का अनियमित व्यय	नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के दिशा निर्देशा के अनुसार नगर परिषद की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के उपरान्त परिषद निधि से उप सभापति नगर परिषद मोतिहारी के लिए नया अलटो वाहन का क्रय किया गया था जो नियमानुकूल है तथा इसके क्रय हेतु नगर परिषद मोतिहारी की मासिक साधारण बैठक दिनांक- 08.09.09 के प्रस्ताव सं0- अन्यान्य- 4 द्वारा निर्णय लिया गया था । जिसके आलोक में ही नया अलटो वाहन क्रय किया गया था । सुलभ प्रसंग हेतु बोर्ड की मासिक साधारण बैठक में वाहन क्रय करने हेतु ली गयी पारित प्रस्ताव की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न । अतः कांडिका विलोपित करने की कृपा की जाय ।
14	21	उप सभापति हेतु मो0- 3,02,777.00 रुपये के वाहन का अनियमित व्यय	मो0- 18,71,000.00 रुपये के वसूली हेतु अविलम्ब सम्बन्धित व्यक्ति (अवधेश कु0 सिंह) पर निलाम-पत्र वाद सं0- 23/2008-09 द्वारा दायर कर दिया गया था । दायर वाद की प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न की जा रही है । अतः अनुरोध है कि कांडिका विलोपित करने की कृपा की जाय ।
15	22	मो0- 18,71,000.00 रुपये की हानि	(1) प्रशिक्षण अवधि तीन माह का दि0- 25.01.10 से दि0- 25.04.10 तक किया गया है जिसकी जाँच की गयी है । अवधि का उल्लेख है जिसकी छाया प्रति संलग्न की जा रही है । (2) संस्था के द्वारा 800 लाभार्थियों का प्रशिक्षण दे कर 800 लाभार्थियों को ही वजीफा दिया गया है । (3) संस्था के द्वारा सामग्रियों का क्रय एवं अभिश्रव का विवरणी संलग्न । (4) प्रशिक्षणार्थियों द्वारा बताया गया कि अभी पूर्णरूपेण प्रशिक्षित नहीं हुए हैं इस कारण केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कम से कम (तीन माह) से अधिक अवधि तक प्रशिक्षण दिया गया । (5) किये गये एकरारनामा के अनुसार ही (50 प्रतिशत, 25 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत) के अनुसार ही भुगतान किया गया है । (6) संस्था द्वारा सिलाई मशीन प्रति 5 प्रशिक्षणार्थी (महिला) के गुप में स्वावलम्बी बनाने हेतु सिलाई मशीन वितरित कर दिया गया है । वितरण की सूची संलग्न । (7) नियमानुसार ही अभिश्रव जाँचोपरांत भुगतान की गयी है जो केन्द्र सरकार के स्वर्ण जयन्ती शहरी योजना के दिशा निर्देशा के अनुसार है । अतः कांडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय ।
16	23	स्वर्ण जयन्ती शहरी योजना विकास कार्यक्रम में अनियमितताएं / अधिक भुगतान	मो0- 1,18,578.00 रुपये के अग्रिम राशि का सामंजन कर लिया गया है जिसे अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी । अतः कांडिका विलोपित करने की कृपा की जाय । अतः कांडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय ।
17	24	अग्रिम	

कार्यपालक सहायिका,
नगर परिषद मोतिहारी